**नर्सरी निर्देश-06**

# संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

6 वी मंजिल, विन्ध्याचल भवन,मध्य प्रदेश भोपाल,
ई-मेल nurseryhorticulture@gmail.com,
nursery.c1@mp.gov.in

**क्रमांक/उ./नर्सरी/नर्सरी-निर्देश/407/2023-24/** 6841 **भोपाल, दिनांक-** 27.10.2023

प्रति,

संयुक्त संचालक उद्यान
संभाग.......... समस्त।

**विषय:-** संभागीय स्तर की नर्सरी को "ऑर्नामेंटल प्लांट्स" उत्पादन हेतु चिन्हित करने बावत।

---00---

विभागीय नर्सरियों पर सामान्यत: फलपौध का उत्पादन प्राथमिकता से किया जाता है। इनका उपयोग व्यवसायिक स्तर पर फलों की बागवानी हेतु विभिन्न योजनाओं में तथा कृषकों द्वारा स्वच्छा से अपने खेतों पर रोपण करने के लिये किया जाता है।

शहरी क्षेत्रों में बागवानी को दृष्टि से शोभायमान पौधों की फूल वाले पौधों तथा मौसमी (शीतकालीन,ग्रीष्मकालीन तथा वर्षाकालीन) फूलों के पौधों की मांग अधिक रहती है। हमारी शासकीय नर्सरियों पर इनकी सामान्यत: उपलब्धता नहीं रहती है।

विभागीय नर्सरियों को व्यवसायिक रूप देने एवं निजी नर्सरियों से प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप देने के लिये प्रत्येक संभाग स्तरीय नर्सरी "ऑर्नामेंटल प्लांट्स" उत्पादन के लिये चिन्हित कर तद्नुसार विकसित किया जावे। इस हेतु जिले की अन्य नर्सरियों पर, शासकीय भवनों एवं आवासों, पार्क एवं उद्यानों अथवा निजी परिसरों में उपलब्ध कई प्रकार के "ऑर्नामेंटल प्लांट्स" जैसे- गुड़हल, बोगन वेलिया, चंपा, कनेर, एक्जोरा, टिकोमा, लेंटाना इत्यादि का कलेक्शन किया जावे। इसके लिये आवश्यकता अनुसार बीज, कलम अथवा गूटी के माध्यम से पौधे तैयार कर नर्सरी पर रोपित किये जावे। इस प्रकार प्रयास से वृहद स्तर पर "ऑर्नामेंटल प्लांट्स" का कलेक्शन किया जा सकता है तथा इससे पौध उत्पादन करने की विपुल संभानाऐं है।

अत: संभाग स्तर की नर्सरी पर "ऑर्नामेंटल प्लांट्स" का वृहद स्तर पर उत्पादन किया जावे। साथ ही एक जिला एक नर्सरी हेतु चयनित नर्सरी में भी एक खण्ड में "ऑर्नामेंटल प्लांट्स" का रोपण कर पौध उत्पादन किया जावे।

इस हेतु संभागीय स्तर की नर्सरी को "ऑर्नामेंटल प्लांट्स" उत्पादन हेतु चिन्हित करने बावत की गई कार्यवाही से दिनांक 30.10.2023 तक अनिवार्यत: संचालनालय को अवगत करावे। उपरोक्त निर्देशों का पालन जिले में उपलब्ध आवंटन के अनुरूप किया जावे, इस हेतु प्रथक से आवंटन प्रदाय नहीं किया जावेगा।

संचालक
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
म.प्र. भोपाल

**क्रमांक/उ./नर्सरी/नर्सरी-निर्देश/407/2023-24/** 6842 **भोपाल, दिनांक-** 27.10.202

**प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. अपर मुख्य सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. कलेक्टर जिला.......................समस्त।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत............समस्त।
4. उप/सहसंचालक उद्यान जिला ...........समस्त।

सहायक संचालक उद्यान
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
म.प्र. भोपाल